

कार्यालय नगर परिषद जीन्द

क्रमांक 494/mc 5

दिनांक 05-02-18

नगर परिषद जीन्द एतद् द्वारा वार्ड नम्बर 1 से 31 तक में स्थित सभी रिहायसी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों से कुड़ा-कर्कट प्रतिदिन संग्रह तथा स्रोत पर ही गीले व सुखे कुड़े का segregation करने एवं शहर के सभी कुड़ा संग्रह केन्द्रों, गली, सड़कों, डस्टबीनों, नालों, नालियों व सिवरेज से निकाली गई सिल्ट, पार्को व खाली प्लाटों का कुड़ा, मलबा इत्यादि अर्थात् सभी प्रकार का कुड़ा (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर) को प्रतिदिन उठाने व निस्तारण करने एवं गन्तव्य स्थान अर्थात् दिल्ली-फिरोजपुर, जीन्द-पानीपत रेलवे लाईन के निकट वाहनों के माध्यम से पहुँचाने के लिये तथा शहर की मुख्य सड़कों (पटियाला चौक से नरवाना रोड़ नगर परिषद सीमा तक, पटियाला चौक से कैथल रोड़ नगर परिषद सीमा तक, पटियाला चौक से न्यु हांसी रोड़ टैंडरी मोड़ तक, पटियाला चौक से रलवे रोड़ रामा कृष्णा मंदिर तक, पटियाला चौक से सफीदों गेट तक वाया पुरानी सब्जी मंडी, सफीदों गेट से सफीदों JIET तक, सफीदों गेट से गोहाना रोड़ परिषद सीमा तक वाया S D School, रानी तालाब, बस स्टैंड, जेल बाई पास चौक से रोहतक रोड़ बाई पास चौक तक वाया C R S University, रोहतक रोड़ बाई पास चौक से भिवानी रोड़ बाई पास चौक तक वाया दुर्गा कालोनी रेलवे फाटक, देवीलाल चौक से रोहतक रोड़ अनाज मंडी गेट नं. 2 तक, देवीलाल चौक से भिवानी रोड़ परिषद सीमा तक, देवीलाल चौक से पुराना हांसी रोड़ नंदीशाला तक) व हुडा सैक्टरों 10, 11, 11 एक्सटेंशन में सड़कों, गलियों, पार्को, खाली प्लाटों, मार्किट्स व नालों की सफाई और संफाई उपरान्त एकत्रित कुड़ा-कर्कट को कुड़ा संग्रह केन्द्रों तक पहुँचाने व छोटे जानवर (कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चुहा इत्यादि) निस्तारण करने हेतु नगर परिषद जीन्द द्वारा दिनांक 02-02-2018 को ई-निविदा आमन्त्रित की गई थी। इस निविदा की शर्त स0 49 में संसोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

49. " फर्म/एजेंसी/ठेकेदार के पास बैंक क्रेडिट लिमिट/ ओवर ड्राफ्ट लिमिट मु0 90 लाख रूपये होनी चाहिए। इस शर्त में केवल एस0 सी0 एल0 एण्ड सी0, को छूट होगी।"

कार्यकारी अधिकारी,
नगर परिषद, जीन्द।